न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-22/2020-21

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

संजय कुमार दास बनाम श्रीमति दमयन्ती देवी

11/9/20

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता – संजय कुमार दास पिता–स्व० वेनीमाधव दास, ग्राम–मांझी टोली बुण्डू, पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची, जाति–हजाम,(नाई) पेशा–कृषि।

क्रेता का नाम एवं पता – श्रीमति दमयन्ती देवी पति–श्री जय प्रकाश हजाम, ग्राम–सताकी टोला, वांदुलोहन, पो०–सताकी, थाना–राहे, जिला–राँची, जाति–हजाम,(नाई) पेशा–गृहिणी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम – श्री बासुदेव प्रमाणिक।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–11/08/2020 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता श्रीमति दमयन्ती देवी पति–श्री जय प्रकाश हजाम, ग्राम–सताकी टोला, वांदुलोहर, पो०–सताकी, थाना–राहे, जिला–राँची, जाति–हजाम,(नाई) पेशा–गृहिणी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैं:–

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
बुण्डू	बुण्डू	28	1470	4327	0.05 ए० चौहद्दी उ०–प्रस्तावित रास्ता। द०–लाल उराँव, प्लॉट नं० 4328। पू०–विक्रेता नीज। प०–विक्रेता नीज।

उक्त आवेदन के आलोक में अचंल अधिकारी, बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, बुण्डू का पत्रांक–447 दिनांक–04/09/2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

(1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत झरीया हजाम पिता–मधु हजाम के नाम से दर्ज है।

(2) विक्रेता पंजी–II रैयत के पुत्र है।

(3) पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम बेनी माधव दास वगैरह है। तथा रैयत के पास प्रस्तावित प्लॉट में रकबा–1.38 ए० भूमि है।

(4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2010–11 तक वसूली गयी है।

(5) विक्रेता जमाबंदी रैयत के पुत्र है।

(6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायमी किस्म की है।

(7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास प्रस्तावित प्लॉट में रकबा–1.33 ए० भूमि शेष रह जाएगा।

(8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को मकान बनाने एवं अन्य कार्य हेतु बिक्री कर रहे है।

(9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो पिछड़ी जाति के सदस्य है।

(10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही जिला राँची के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, बुण्डू ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत विक्रेता संजय कुमार दास पिता–स्व० वेनीमाधव दास, ग्राम–मांझी टोली बुण्डू, पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची, जाति–हजाम,(नाई) पेशा–कृषि, को क्रेता श्रीमति दमयन्ती देवी पति–श्री जाय प्रकाश हजाम, ग्राम–सताकी टोला, वांदुलोहर, पो०–सताकी, थाना–राहे, जिला–राँची, जाति–हजाम,(नाई) पेशा–गृहिणी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक–11/08/2020 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नही की है।

अतः अंचल अधिकारी, बुण्डू के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता संजय कुमार दास पिता–स्व० वेनीमाधव दास, ग्राम–मांझी टोली बुण्डू, पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची, जाति–हजाम,(नाई) पेशा–कृषि, को क्रेता श्रीमति दमयन्ती देवी पति–श्री जाय प्रकाश हजाम, ग्राम–सताकी टोला, वांदुलोहर, पो०–सताकी,

थाना–राहे, जिला–राँची, जाति–हजाम,(नाई) पेशा–गृहिणी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा–46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
बुण्डू	बुण्डू/28	1470	4327	0.05 ए० चौहद्दी उ०–प्रस्तावित रास्ता। द०–लाल उराँव, प्लॉट नं० 4328। पू०–विक्रेता नीज। प०–विक्रेता नीज।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहत्ता।
बुण्डू।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू।